दिनांक-14.01.2020

स्वच्छ भारत अभियान   स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

गंदगी फैलाने पर उड़नदस्ता की टीम ने लगाया 2,000 जुर्माना, बिल्डिंग मटेरियल डालकर सड़क बाधा करने पर लिया गया 5000 अर्थदंड शुल्क

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने संजय नगर , होजियरी मार्केट, उत्तर गंगोत्री, चन्द्रनगर, साकेत नगर शांतिनगर सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित पानी पाउच तथा,प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कार्यवाही करते हुए 9900 रूपए का अर्थदण्ड वसूल किया गया! नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने होजियरी मार्केट, उत्तर गंगोत्री, चन्द्रनगर, साकेत नगर, शांतिनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित पानी पाउच व प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों , बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण किया। नालियों पर कचरा , सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा विभिन्न व्यवसायियों से 9,900 रूपए का दाण्डिक शुल्क लेकर समझाईस दी गई। निगम की उड़नदस्ता टीम ने राजनप्रसाद चन्द्रनगर कोहका द्वारा गंदगी फैलाए जाने पर 2000 हजार रूपए, साकेत नगर विक्की अग्रवाल लाइसेंस नहीं होने पर 1000 हजार रूपए, पालीवाल डेयरी एवं स्वीटस शांतिनगर को दुबारा गंदगी ने फैलाने पर समझाइश दी गई, ज्योति स्टील इंडस्ट्रीज संजय नगर से 2000 हजार रूपए सड़क बाधा शुल्क, शुभम सर्विसिंग सेन्टर संजय नगर द्वारा सड़क बाधा करने पर 2000 हजार रूपए, बजरंग वेल्डिंग जीई रोड से भी सड़क बाधा कर व्यवसाय करने पर 2000 हजार रूपए तथा जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 14 सड़क बाधा शुल्क 900 रुपए निगम की टीम ने कार्यवाही करते हुए आर्थिक दंड वसूला किया इसके अतिरिक्त जोन क्रमांक 3 क्षेत्र अंतर्गत बैकुंठ धाम क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल डालकर सड़क बाधा करने वाले पाठक ट्रेडर्स, आशा ट्रेडर्स, विजय ट्रेडर्स एवं राजेश ट्रेडर्स से 5000 रुपए का आर्थिक दंड वसूला गया।

जनसम्पर्क अधिकारी